

‘पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, कांफ्रेंस कॉल’

27 अक्टूबर, 2009

संचालक: श्री सतनाम सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,  
पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री आर रंगराजन, निदेशक, वित्त एवं वित्तीय  
प्रचालन, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री एम के गोयल, निदेशक, आईटी एवं ए, पावर  
फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री देवेन्द्र सिंह, निदेशक, पावर फाइनेंस  
कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री राजीव शर्मा, निदेशक, परियोजनाएं, पावर  
फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

संचालक: -

सभी को नमस्कार। पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, की ओर से हम आप सभी को निवेशक सम्मेलन के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं इस अवसर पर श्री सतनाम सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर रंगराजन, निदेशक, वित्त एवं वित्तीय प्रचालन, श्री एम के गोयल, निदेशक, आईडी एवं ए, श्री देवेन्द्र सिंह, निदेशक और श्री राजीव शर्मा, निदेशक, परियोजनाएं का परिचय कराना चाहता हूं। अब हम शीघ्र ही एक प्रेजेन्टेशन देखेंगे और तत्पश्चात प्रश्न उत्तर सत्र चलेगा।

श्री सतनाम सिंह: सभी को नमस्कार, प्रेजेन्टेशन से पहले मैं कुछ विवरण दूंगा, जो शायद आपको प्रश्न करने के लिए तैयार और मजबूर करेंगे। यह और बात है कि भारतीय विद्युत क्षेत्र के समक्ष वर्तमान में तीन चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई नयी चुनौतियां हों; पहले भी ऐसी चुनौतियां रहीं हैं।

पहली चुनौती क्षमता वृद्धि; अगली चुनौती टी और डी हानियां तथा उपस्कर आपूर्ति से जुड़ी हैं। इसलिए हम पीएफसी में इस बात पर विचार करते रहे हैं कि हम अपना योगदान कब कैसे और कहां कर सकते हैं जिससे कि देश इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बन सके। अतः मैं आपको यह बताने वाला हूं कि हमने वर्तमान वर्ष की पहली छःमाही में इन क्षेत्रों में क्या किया है और फिर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से आपको आंकड़ों की जानकारी दी जाएगी। जहां तक पहली चुनौती क्षमता अभिवृद्धि का संबंध है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां (खिलाड़ी) निश्चित रूप से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में जिन बातों की परिकल्पना की गई है उससे यह संकेत मिलते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र की सहभागिता के वर्तमान स्तर लगभग 30-35 प्रतिशत से आगे उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए। जैसा आपको भलिभॉति ज्ञात है कि आप पहले से पूरी की गई परियोजनाओं में हिस्सेदारी नहीं कर सकते हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए यह 63 प्रतिशत निर्धारित है।

हमें आपको यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता है कि यह परंपरा हमारी मंजूरीयों में दृष्टिगोचर हो रही है। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छःमाही के दौरान निजी क्षेत्र को कुल मंजूरीयों की 27 प्रतिशत राशि स्वीकृत की गई है, हमने जो कुछ भी किया है पूर्व में 6 से 7 प्रतिशत को बढ़ाकर 27 प्रतिशत तक लाए हैं। इस प्रकार इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। यह अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि निजी क्षेत्र के मामले में हम एकल ऋण ग्राही के लिए केवल 20 प्रतिशत और कंपनियों के समूह के लिए 35 प्रतिशत का एक्सपोजर ही लेते हैं जबकि राजकीय कंपनियों के मामले में हम 70 से 80 प्रतिशत का एक्सपोजर लेते हैं। इस प्रकार प्रतिशत में परिवर्तन का लक्ष्य हासिल किया जाता है, यहां तक कि एक्सपोजर लिमिट काफी कम है, यह इस बात का संकेत देती है कि यह परिवर्तन दर्शायी गई संख्याओं की तुलना में काफी सकारात्मक है।

विद्युत क्षेत्र में वितरण संबंधी हानियां चिंता का अन्य विषय रहा है और आपको यह जानकर

हैरानी होगी कि वर्ष 2007-08 के अंत में राष्ट्रीय स्तर पर वितरण हानियों का प्रतिशत लगभग 30 था। भारत सरकार ने इस समस्या के समाधान अथवा इस चुनौती का सामना करने के उद्देश्य से पुनर्गठित एपीडीआरपी योजना के रूप में एक बहुत बड़ी पहल (प्रयास) प्रारंभ किया है। भारत सरकार की इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पीएफसी को गत वर्ष नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था। हमने इस योजना का कार्यान्वयन इस वर्ष जुलाई से प्रारंभ किया और अब तक हमने लगभग 4200 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है और लगभग 700 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं। इस योजना में भारत के ऐसे सभी कस्बों को शामिल किया गया है जिनकी जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 30000 है। पूरे देश में इस मानदण्ड को पूरा करने वाले कस्बों की कुल संख्या 1410 है और हमने भाग ए की परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें 1128 कस्बे शामिल हैं, इसका मतलब यह है कि लगभग 9 माह की समयावधि के पहले चरण में हमने 80 प्रतिशत कस्बों को शामिल कर लिया है और वितरण संबंधी हानियों के बारे में आधार लाइन डेटा की स्थापना के संदर्भ में इन कस्बों में कार्य जारी है। अगली चुनौती विद्युत उपस्करों अथवा कच्चे माल अर्थात् कोयला और गैस की आपूर्ति में बाधाओं से संबंधित है। हमने पीएफसी में विद्युत उपस्कर विनिर्माण के साथ साथ कोयला खनन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार की है, सभी नीतियां यथावत लागू हैं और इस संबंध में हमें कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और हम पहली परियोजना को हो सकता है एक अथवा दो माह के भीतर वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी देंगे, जिसका मूल्यांकन जारी है। क्षमता अभिवृद्धि के क्षेत्र में हमने क्षमता अभिवृद्धि को सुगम बनाने के लिए हमने एक नया उत्पाद शुरू किया है। आपको ज्ञात होगा कि विद्युत क्षेत्र में उद्यम पूंजीगत निधियों के लिए कर छूट के कारण इंडिया पावर फंड की स्थापना नहीं की जा सकी क्योंकि यह छूट वापस ले ली गयी थी, तब से हम इस बात पर विचार करते रहे हैं कि एक जैसी मनोदशा और वैचारिक मतैक्य वाले लोगों का एक समूह गठित किया जाए ताकि हमारी विशेषज्ञता के आधार पर इक्विटी निवेश किया जा सके।

परंतु हम उसी समय से इक्विटी उत्पाद, वास्तविक रूप से इक्विटी नहीं बल्कि इक्विटी में निवेश के लिए ऋण उत्पाद शुरू करने के बारे में विचार करते आ रहे हैं। मैं इसे स्पष्ट करने के लिए सिर्फ एक मिनट का समय और लूंगा। हमने यह देखा है कि स्थापित परियोजनाओं में निर्माणाधीन परियोजनाओं की तुलना में जोखिम कम है, और आज के डेटा पर विचार नहीं करें तो ज्यादातर उत्पादन कंपनियां नियामक द्वारा निर्धारित लाभ अर्जित कर रही हैं और यदि वे अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं, तो उन्हें कुछ वर्ष इंतजार करना चाहिए। जब तक उनके विस्तार के लिए यह लाभ अर्जित होता है अथवा उन्हें रणनीतिक निवेश करना पड़ता है या उन्हें कोई आईपीओ जारी करना पड़ता है, जो आप सभी जानते हैं कि किसी परियोजना के निर्माण के लिए उपयुक्त विकल्प नहीं हो सकता है। इस

प्रकार इस क्षेत्र में हमारा मानना है कि पहले से स्थापित परियोजनाओं के संदर्भ में हम 10 से 15 वर्ष की अवधि के दौरान स्थापित परियोजना के इक्विटी लाभ की समीक्षा करेंगे और एनपीवी की गणना करेंगे तथा इस परियोजना में इक्विटी के रूप में एक निश्चित प्रतिशत का प्रस्ताव देंगे। हमने इसकी सीमा 20 प्रतिशत इस प्रावधान के साथ निर्धारित की है कि पीएफसी द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि का चरणबद्ध ढंग से नयी परियोजना में इक्विटी के रूप में निवेश किया जाएगा। अब हमें ऐसा लगता है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य पर पड़ेगा परंतु विकासकर्ता बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं क्योंकि उन्हें किसी रणनीतिक निवेशक अथवा निर्माण के समय ही आईपीओ जारी नहीं करना पड़ता है। वे परियोजना की स्थापना और तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि सही मूल्यांकन नहीं कर लिया जाता है, इस प्रकार यह विकासकर्ताओं के लिए ठीक है।

अब मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे जैसी कंपनी के लिए इसका क्या आशय है। चूंकि यह धनराशि प्रथम प्रभार आधार पर उधार नहीं दी जाएगी क्योंकि यह एक ऐसा लाभ है जिसे सुरक्षित किया जा रहा है, यह द्वितीयक प्रभार होगा, कुछ मामलों में हम प्रथम प्रभार भी ले सकते हैं। कुछ समय पश्चात हमारी मौजूदा उधारी में गिरावट आएगी, हो सकता है इसमें 5 वर्ष की अवधि लगे। माना कि हमने परियोजना की स्थापना के पश्चात 5 वर्ष की अवधि में 100 करोड़ रुपए की राशि उधार दी, वह आपको कुछ राशि लौटाएगा जो कि लगभग 30 प्रतिशत है और यह 15 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया ऋण है। अतः इस अवधि के दौरान यदि हम कुछ सुरक्षा राशि जमा करते हैं तो इस पर हमें अच्छा लाभ मिलता है। हम सभी यह जानते हैं कि यह इस बात का आधार है कि कौन सी परियोजना किस ढंग से संचालित हो रही है, विकासकर्ताओं को जाना जा सकता है, और यहां तक कि परियोजना के कार्यान्वयन की दृष्टि से विकासकर्ता की क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जबकि निर्माणाधीन परियोजना के मामले में ऐसा संभव नहीं है। हमें सामान्य ब्याज दर की तुलना में कम से कम 2 प्रतिशत अधिक ब्याज मिलेगा। इस प्रकार सामान्य ब्याज दर की तुलना में हमारा आंशिक विस्तार 2.5 अथवा उसके आस पास और 2 प्रतिशत अतिरिक्त का आशय यह है कि समेकित ब्याज दर 4.5 प्रतिशत हो जाती है। हमारी परिसम्पत्ति बही का भाग हो सकने वाले इस उत्पाद के आधार पर आगे बढ़ना; हमने साधारणतः इसकी गणना की है, यह 10 प्रतिशत है। इसके कारण हमारे विस्तार में 15 आधार बिंदुओं अथवा उसके आसपास की वृद्धि होगी, अतः हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में हमारे योगदान से न केवल क्षमता अभिवृद्धि में सहयोग मिलेगा बल्कि यह हमारे विस्तार में भी सहायक होगा, जो निश्चित ही इक्विटी शेयरधारकों के भी हित में है।

चिंता का अन्य क्षेत्र पावर एक्सचेंज है, इस बात की जानकारी हमने आपको दी है। हम दो एक्सचेंजों यथा पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया और नेशनल पावर एक्सचेंज में क्रमशः 7 और 16.67 प्रतिशत के इक्विटी भागीदार हैं, परंतु आज मैं

जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ वह यह है कि हमने पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के लिए वित्तीय उत्पाद शुरू किए हैं, जो उन्हें अपने कारोबार के संचालन में सहायक होंगे। इस प्रकार हमारी इक्विटी मूल्यांकन में वृद्धि होगी। यह पावर ट्रेडिंग के लिए उधार दी जाने वाली धनराशि पर अधिक लाभ अर्जित करने की दृष्टि से भी हमारे लिए सहायक होगा। इसके अलावा, इस तथ्य के बावजूद भी केन्द्रिय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने साप्ताहिक शीर्ष और मासिक शीर्ष वाले उत्पाद पहले ही अनुमोदित कर दिए हैं, इससे पावर ट्रेडिंग और सुविधाजनक बनेगी। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो हमने अब तक ऐसी 14 परियोजनाओं की पहचान की है, जिनमें से 4 परियोजनाएं, जैसा आपको ज्ञात है कि चुने गए बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दी गयीं हैं। अंतिम यूएमपीपी तिलैया अंतिम तिमाही में रिलायंस पावर को सौंपी गई। 3 यूएमपीपी उन्नत चरण पर हैं और इनके लिए आरएफक्यू जारी किए जा रहे हैं। इन यूएमपीपी में तमिलनाडु में चेर्यूर, उड़ीसा में बेडाबहल और छत्तीसगढ़ में अकलतारा शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए कोयला आवंटन, आवश्यक जल संपर्क और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया उन्नत चरण पर है, परंतु पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में छोटी मोटी बाधाएं बनी हुई हैं। चेर्यूर परियोजना के लिए पोर्ट और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी गतिविधियां लम्बित हैं। एक बार ये कार्य पूरे हो जाने पर हमें आशा है कि इन तीनों यूएमपीपी के लिए आरएफक्यू इसी वित्त वर्ष में जारी किए जाएंगे, हो सकता है इसी माह में अथवा प्रगति के आधार पर दो माह के भीतर ये कार्य कलाप पूरे कर लिए जाएंगे। हमें 2 अतिरिक्त मेगा ट्रांसमिशन परियोजनाएँ भी सौंपी गई हैं जिनके लिए हमने पहले ही एसपीवी का गठन कर लिया है, जैसा आपको ज्ञात है कि पहले हमें ईस्ट नॉर्थ इंटरकनेक्शन कंपनी लिमिटेड नामक अल्ट्रा ट्रांसमिशन लाइन का कार्य मिला था, इसकी मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और एजेंसियों की सुविधा के आधार पर लगभग 15 दिन के भीतर चयनित बोलीदाता को एनओआई जारी किए जाने की संभावना है और जैसा आपको ज्ञात है कि इस परियोजना के लिए स्टरलाइट चयनित बोलीदाता है तो ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्धृत दरें 3 एजेंसियों से प्राप्त की गयीं हैं और उनमें काफी अंतर है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि अल्ट्रा ट्रांसमिशन लाइन का कार्य चयनित बोलीदाता को ही दिए जाने वाला है क्योंकि सर्वोच्च दरें उद्धृत करने वाले बोलीदाता की तुलना में स्टरलाइट की दरें लगभग आधी हैं, मेरा आशय यह है कि हम स्टरलाइट ने सर्वोच्च बोलीदाता की तुलना में लगभग आधी दरें उद्धृत की हैं।

हम सहायक कंपनियां सृजित करने और अपना कारोबार बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं, जैसा आपको ज्ञात है कि हम संविदाकारों के समूह (कंसोर्टियम) को धन उधार देते आ रहे हैं; हमारे पास पावर लैंडर क्लब है जिसमें भारतीय बैंक, बीमा कंपनी (एलआईसी) और हुडको जैसे बड़े वित्तीय संस्थान शामिल हैं। हमने बड़ा कारोबार किया है, हम 35 से 40 परियोजनाओं में अग्रणी वित्तपोषक (फाइनेंसर) हैं। हम इस पावर लैंडर

क्लब के माध्यम से अपने मूल्यांकन के आधार पर ऋणों की सिंडीकेटिंग करते आ रहे हैं। हमने इस समूह को 1 अप्रैल, 2010 से एक अलग कंपनी के रूप में स्थापित करने का निश्चय किया है और ऐसा अन्य क्षेत्र जहां हम एक अलग सहायक कंपनी गठित करना महत्वपूर्ण समझते हैं वह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है। हमने इस क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपए की मंजूरियां पहले ही कर दी हैं और जिसमें से 60 करोड़ रुपए की राशि संवितरित कर दी गई है। आगे चल कर इस क्षेत्र पर भी अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, इस प्रकार हमने इस क्षेत्र के लिए भी एक अलग कंपनी स्थापित करने का विचार किया है। आप जानते हैं कि इससे हमारे लोगों को सहायता मिलती है और हमारे कार्यपालक निदेशकों को इन नई कंपनियों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जा सकता है और उन्हें स्वतंत्र प्रणेता के रूप में विकसित होने दिया जाए जो अभीष्ट रूप से भारतीय विद्युत क्षेत्र में सहायक होगा।

इस वर्ष के दौरान हमें 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। एक पुरस्कार दैनिक भास्कर द्वारा शुरू किया गया भारतीय गौरव पुरस्कार भारत के माननीय गृह मंत्री श्री पी चिदंबरम द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाएं श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया, इसे गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा स्वर्ण पुरस्कार कहा जाता है। इसके अलावा हमें दूसरा पुरस्कार भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार, 2007 08 है और वर्ष 2008 09 के लिए हमें आशा है कि यह पुरस्कार अगले वर्ष प्रदान किया जाएगा। अब आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। इसके विवरण प्रेजेंटेशन में दिए जाएंगे। मैं इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं दूंगा। चालू वित्त वर्ष की पहली छःमाही के दौरान गत वर्ष की तुलना में हमारी मंजूरियों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परंतु जैसा मैं विश्लेषकों से कहते आ रहा हूँ कि चालू वित्त वर्ष की मंजूरियां कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बकाया मंजूरी ऐसा मुद्दा है जिस पर हम कार्य करेंगे। यदि आप बकाया मंजूरियों पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि उसमें 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 1,06,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,38,000 करोड़ रुपए हो गयी है, ऋण परिसम्पत्तियां जो हमारी आय में वृद्धि का आधार हैं इसमें 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 57800 करोड़ रुपए से बढ़कर 68000 करोड़ रुपए हो गयीं हैं और इसके परिणामस्वरूप हमारी निबल लाभप्रदता में पहली छःमाही में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 626 करोड़ रुपए से बढ़कर 1193 करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रकार परिसम्पत्ति बही में 19 प्रतिशत और कर पश्चात लाभ में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप प्रति शेयर आय (ईपीएस) में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 10.90 रुपए से बढ़कर 20.79 रुपए हो गयी है। इसी क्रम में हमारी उधारी दरें जो विभिन्न क्षेत्रों के भारित औसत के अनुरूप हैं में 39 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है जबकि लागत में केवल लगभग 9 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है। पहली छःमाही में लागत में 15 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है जबकि तिमाही के संदर्भ में इसमें केवल 9 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है। यद्यपि हमारी ऋण बही में तेजी से वृद्धि हुई है, परंतु हम परिसम्पत्ति

की गुणवत्ता बनाए रखने में सफल रहे हैं, 30 सितम्बर को हमारी निबल गैर निष्पादन परिसम्पत्तियां 0.01 प्रतिशत रहीं। इसके परिणामस्वरूप निबल मूल्य पर मिलने वाले लाभ में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह निश्चित रूप से ईपीएस में दर्शाया गया है। मुझे लगता है कि इन आंकड़ों के साथ मैं श्री गुप्ता को प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करूँ।

श्री गुप्ता:

सभी को नमस्कार, हम 30 सितम्बर 2009 को समाप्त होने वाली छःमाही के तिमाही परिणाम प्रस्तुत करेंगे। परंतु आंकड़ों का खेल शुरू होने से पहले हमें कंपनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालनी चाहिए। पीएफसी हमारे अल्पकालीन और दीर्घकालीन घरेलू उधारी कार्यक्रमों के संदर्भ में सर्वोच्च घरेलू रेटिंग लगातार बनाए रखे हुए है। जहां तक हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग का संबंध है हम भारत संप्रभू रेटिंग के समतुल्य रेटिंग बनाए हुए हैं। हम अपने एनपीए स्तर को कमोवेश नगण्य रखते हुए बेहतर परिसम्पत्ति गुणवत्ता बनाए हुए हैं। पीएफसी के बारे में कहा जाता है कि यह सर्वाधिक सफल एवं प्रबंधित सार्वजनिक उद्यम है और भारत सरकार द्वारा लगातार इसे उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान की जा रही है।

1986 में अपनी स्थापना से लेकर अभी तक पीएफसी ने बहुत से लक्ष्य हासिल किए हैं। इनमें से 1998 में मिनी रत्न कंपनी घोषित किया जाना, वर्ष 2007 में सार्वजनिक तौर पर नवरत्न पीएसयू का दर्जा दिया जाना और वर्ष 2008 में पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड का गठन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी तरह से इस आधे वर्ष के दौरान भी हमारे प्रमुख उपलब्धियां यह हैं कि हमने तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना पहली तिमाही में ही रिलायंस पावर को हस्तांतरित कर दी है।

हमने अपनी एपीडीआरपी योजना का सफलतापूर्वक शुभआरंभ किया है। पीएफसी को वर्ष 2009 में विश्व के शीर्ष 500 वित्तीय ब्रांडों की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा पीएफसी को फॉर्ब्स की वैश्विक रैंकिंग 2000 में भी सूचीबद्ध किया गया है। पीएफसी ने विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है। पीएफसी मुख्य रूप से पारंपरिक ऋण और अन्य ऋण निधियां आधारित उत्पाद विद्युत कंपनियों-को-उपलब्ध कराता है। कुछ वर्षों के दौरान पीएफसी विद्युत क्षेत्र में अपने ज्ञान और विशेषज्ञता का भरपूर उपयोग किया है और अपने उत्पादों और प्रस्तावों को विविध बनाया है। हमारे प्रमुख उत्पाद प्रस्तावों में रुपी टर्म लोन, विदेशी मुद्रा ऋण और अल्पकालीन ऋण शामिल हैं जिसमें सम्पूर्ण ऋण पोर्टफोलियो का लगभग 99 प्रतिशत अंश निहित है। जैसा हम सभी को ज्ञात है कि पीएफसी की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहयक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड भी है जो सभी प्रकार की वित्तीय के साथ साथ अन्य परामर्श सेवाएँ अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। इसके कार्यकलापों में संसाधनों का वित्तीय प्रबंधन, दक्षता बढ़ाने के लिए समाधान उपलब्ध कराना और अन्य कई कार्यकलाप शामिल हैं। हमारी कारोबार रणनीतियों के एक भाग के रूप में हमेशा से हमारा यह प्रयास रहा है कि मौजूदा कारोबार में लगातार

वृद्धि, विस्तार और उसका विकास किया जाए। हम ग्राहकों की उत्पाद आवश्यकताओं और मांगों को समझने के उद्देश्य से उनके साथ लगातार संपर्क करते रहे हैं और जो बातें श्रीमान जी ने पहले स्पष्ट की हैं उनके आधार पर हमने मुख्य रूप से दो नए उत्पाद दूसरी तिमाही में प्रारंभ किए हैं। इनमें से पहला उत्पाद सरकारी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के लिए स्थापित परियोजनाओं की जमानत राशि के बदले विकासकर्ता की इक्विटी के मद में आवधिक ऋण उपलब्ध कराना और दूसरा उत्पाद पावर एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड जिसमें पीएफसी एक स्टैकहोल्डर है, के माध्यम से विद्युत की खरीद के लिए क्रेताओं को अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

हमारे सुविधा समूह के माध्यम से हम लगातार विद्युत क्षेत्रों में अवसरों की तलाश करते हैं और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जाओं और सामूहिक उधारी के लिए अग्र और पश्च संपर्क उपलब्ध कराते हैं। हमने इस संबंध में 1 अप्रैल, 2010 के बाद दो अलग अलग सहायक कंपनियां गठित की हैं। हमारी टीम में बहुत अधिक दक्ष और व्यवसायिक कार्यबल शामिल हैं। पीएफसी कर्मचारियों की संख्या के मामले में बहुत ही छोटा संगठन है। 30 सितम्बर, 2009 को कर्मचारियों की संख्या लगभग 326 थी। इसके अलावा पीएफसी का टर्न ओवर अनुपात बहुत कम है, जो इस बात से ही पता चलता है कि पीएफसी का लगभग 38 प्रतिशत स्टाफ पिछले 15 वर्ष से भी अधिक से कार्यरत है।

अब हम 30 सितम्बर, 2009 को समाप्त छःमाही के लिए कंपनी के प्रचालनात्मक निष्पादन पर नजर डालेंगे। वित्तीय आंकड़ों की प्रमुख विशेषताएं यह हैं कि हमारे निबल लाभ में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 626 करोड़ रुपए से बढ़कर 1193 करोड़ रुपए हो गया है, हमारा तुलनात्मक पीएटी जिसमें असाधारण मदों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अंतर को हटाने पर 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 1052 करोड़ रुपए हो गया है। प्रतिशत के रूप में औसत परिसम्पत्तियों के प्रचालन लाभ में 50 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है। औसत परिसम्पत्तियों पर हमारे लाभ में 119 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है। ब्याज विस्तार में 29 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है और यह 2.14 प्रतिशत से बढ़कर 2.53 प्रतिशत हो गया है। कुल आय में भी लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारी निबल आय अर्थात ब्याज से होने वाली आय में भी अच्छी वृद्धि (35 प्रतिशत) हुई है और यह गत वर्ष 1056 करोड़ रुपए से बढ़कर इस वर्ष 1420 करोड़ रुपए हो गई है। इसी प्रकार हमने यहां उल्लेख किया है कि हमारे एनपीए में निबल ऋण परिसम्पत्तियों के 0.01 प्रतिशत की मामूली कमी हुई है। मंजूरी में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह लगभग 29,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 34,800 करोड़ रुपए हो गई है। ऋण परिसम्पत्तियों में 19 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है और यह 57,800 करोड़ रुपए से बढ़कर 68,600 करोड़ रुपए हो गई है। इसी प्रकार निबल मूल्य में भी 29 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि दर्शायी गई है और यह 9270 करोड़ रुपए से बढ़कर 11920 करोड़ रुपए हो गया है। परंतु, यदि हम आसाधारण मदों जैसे आयकर रिफंड, ब्याज, के परिणामस्वरूप उत्पन्न



होने वाले अंतर को हटाने के बाद हमारे तुलनीय लाभ पर नजर डालें, तो हमारे लाभ में पहली छःमाही के दौरान 686 करोड़ रुपए से 1052 करोड़ रुपए की बेहतर वृद्धि दर्शायी गई है जो कि लगभग 54 प्रतिशत है। तिमाही दर तिमाही आधार पर इसमें 349 करोड़ रुपए की तुलना में 544 करोड़ की वृद्धि हुई है जो लगभग 56 प्रतिशत है। यदि हम अपने लाभ और हानि लेखे पर नजर डालते हैं तो हमारी ब्याज से होने वाली आय में लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 2900 करोड़ रुपए से बढ़कर 3800 करोड़ रुपए हो गई है। इस तिमाही के दौरान इसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार पहली छःमाही के दौरान हमारे ब्याज संबंधी व्यय में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तिमाही के लिए लगभग 21 प्रतिशत है। छःमाही के लिए निबल ब्याज आय में 35 प्रतिशत और तिमाही के दौरान 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि आप देखेंगे कि हमारी अन्य आय में काफी वृद्धि हुई है और यह गत वर्ष 32 करोड़ रुपए से बढ़कर इस वर्ष 86 करोड़ रुपए हो गई है। यह मुख्य रूप से हमें आयकर रिफंड के रूप में अर्जित आय के परिणामस्वरूप संभव हुआ है। यह लगभग 20 करोड़ रुपए है।

हमने एपीडीआरपी योजना से भी शुल्क अर्जित किया है, यह लगभग 20 करोड़ रुपए है। इसके अलावा हमने तिलैया यूएमपीपी से भी 15 करोड़ रुपए का शुल्क अर्जित किया है। इस प्रकार अन्य आय में वृद्धि मुख्य रूप से इन तीन कारणों से हुई है। इसी तरह प्रचालन लागत भी थोड़ा अधिक है। इस मद में न के बराबर प्रावधान किए गए हैं और कर पश्चात लाभ तथा असाधारण मदों में छःमाही के दौरान 41 प्रतिशत और तिमाही के दौरान 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि हम इन लाभ और हानि आंकड़ों को अपनी औसत परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में देखते हैं, तो हमारी निबल ब्याज से होने वाली आय में 17 आधार बिंदुओं अर्थात् 1.82 प्रतिशत से 1.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, एनआईआई में भी लगभग 9 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है। अन्य आय में छःमाही के लिए 7 आधार बिंदु और तिमाही के लिए भी इतने ही आधार बिंदु की वृद्धि हुई है। प्रचालन व्यय में 1 आधार बिंदु की कमी दर्ज की गई है।

छःमाही के दौरान प्रचालन लाभ बढ़ा है परंतु केवल 24 आधार बिंदु और तिमाही के लिए इसमें 16 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार औसत परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में पीएटी में भी छःमाही के दौरान 59 आधार बिंदु और तिमाही के लिए 33 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है। यदि हम अपने तुलन पत्र पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी शेयर होल्डर निधि तुलन पत्र के संपूर्ण आकार, जो कि लगभग 74,000 करोड़ रुपए है, की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत है। हमारे संसाधनों का आंशिक हिस्सा उधारियों के माध्यम से पूरा होता है, जो लगभग 56500 करोड़ रुपए है और संपूर्ण देनदारी का लगभग 76 प्रतिशत है। शेष भाग ब्याज सब्सिडी निधियों और चालू देनदारियों तथा आरएपीडीआरपी और अन्य प्रावधानों से पूरा होता है। आरएपीडीआरपी निधि का संवितरण अभी अभी शुरू किया गया है, अतः कुछ ऐसी निधि शेष है, जिसका भारत सरकार से आरएपीडीआरपी

निधि में संवितरण किया जाना है। कुल मिला कर यह देनदारी के मद में संपूर्ण तुलन-घत्र के लगभग 16 17 प्रतिशत के आसपास है।

परिसम्पत्ति के मद में लगभग 92 प्रतिशत परिसम्पत्तियों के लिए ऋण परिसम्पत्तियों के अर्जन भाग से अंशदान किया जा रहा है, जो लगभग 68,600 करोड़ रुपए है, शेष आंकड़े निर्धारित परिसम्पत्तियों और चालू परिसम्पत्तियों में निवेश के कारण हैं, जो पहली छःमाही के लिए लगभग 7 प्रतिशत है और इस प्रकार ऋण परिसम्पत्तियों में छःमाही आधार पर 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम महत्वपूर्ण संसूचकों को देख रहे हैं जैसे छःमाही के दौरान मंजूरीयों में 20 प्रतिशत, तिमाही के लिए 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, छःमाही के लिए संवितरण में 10 प्रतिशत और तिमाही के लिए 11 प्रतिशत की कमी हुई है, ऋण परिसम्पत्तियों में छःमाही के लिए 19 प्रतिशत और तिमाही के दौरान भी इतनी ही वृद्धि हुई है। परिसम्पत्तियों पर लब्धि में आधे से आधे वर्ष आधार पर 54 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है। तिमाही दर तिमाही आधार पर इसमें 46 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है।

निधियों की लागत में केवल 15 आधार बिंदुओं और तिमाही के लिए इसमें केवल 9 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है। ब्याज दर में 2.14 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है जो कि 29 आधार बिंदु के आसपास है और तिमाही के इसमें 37 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है। एनआईआई में 38 आधार बिंदुओं की वृद्धि के साथ छःमाही आधार पर इसमें 3.82 प्रतिशत से 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तिमाही के दौरान इसमें लगभग 40 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है। छःमाही के लिए औसत निबल मूल्य पर मिलने वाला लाभ 16 प्रतिशत से बढ़कर 20.23 प्रतिशत हो गया है। तिमाही के लिए यह 16.86 से 22.32 प्रतिशत हो गया है। तिमाही के लिए हमारा कर्ज इक्विटी अनुपात 4.82 है और प्रभावन क्षमता 6.28 है। पिछली छःमाही में 16.38 प्रतिशत की तुलना में पूंजीगत पर्यातता अनुपात 17.76 प्रतिशत है, ईपीएस लगभग दो गुणा हो गया है और यह 10.90 रुपए से बढ़कर 20.79 रुपए है। इसी प्रकार छःमाही के लिए बही मूल्य 100 रुपए से अधिक है। संवितरण घटक पर नजर डालें तो उत्पादन के लिए सबसे अधिक राशि संवितरित की गई है। यह गत वर्ष 72 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष लगभग 78 प्रतिशत है।

टी एवं डी क्षेत्र में संवितरण लगभग 8 से 10 प्रतिशत के उसी स्तर पर है। इस तिमाही से आगे हमने आरएपीडीआरपी योजना के लिए भी संवितरण प्रारंभ किया है जो छःमाही के लिए लगभग 374 करोड़ रुपए है। तिमाही के लिए उत्पादन क्षेत्र का संवितरण लगभग 77 प्रतिशत और टी एवं डी अंशदान लगभग 5 प्रतिशत है। शेष भाग आरएपीडीआरपी स्कीम से इतर अन्य मदों से प्राप्त होता है जो लगभग 18 प्रतिशत है। यदि संवितरण को ऋणग्राही आधार पर अलग अलग करेंगे तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी राज्य क्षेत्र की है, हालांकि इसमें छःमाही आधार पर इसे 70 प्रतिशत से 61 प्रतिशत किया गया है परंतु यह वास्तविक रूप से केन्द्रीय और संयुक्त क्षेत्र में गया है जो इस तथ्य से दर्शाया गया है कि केन्द्रीय और संयुक्त क्षेत्र में संवितरण वित्त वर्ष

2009 में पहली छःमाही के दौरान लगभग 28 प्रतिशत है था जो अब बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया है। निजी क्षेत्र में भी हिस्सेदारी बड़ी है और छःमाही के लिए यह 2 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार मंजूरीयों के क्षेत्र में उत्पादन की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। छःमाही के लिए संपूर्ण मंजूरीयों का यह लगभग 75 प्रतिशत और टी एवं डी योजना के लिए लगभग 15 प्रतिशत, आरएपीडीआरपी के लिए 6 प्रतिशत और अन्य के लिए लगभग 4 प्रतिशत है। तिमाही दर तिमाही आधार पर उत्पादन की हिस्सेदारी 86 प्रतिशत, टी एवं डी योजना 5 प्रतिशत और आरएपीडीआरपी और अन्य की क्रमशः लगभग 9 से 10 प्रतिशत है। ऋणग्राहियों के अंशदान की बात करें तो राज्य क्षेत्र में 32 प्रतिशत से 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केन्द्रीय और संयुक्त क्षेत्र का अंशदान जो वित्त वर्ष 2009 की पहली तिमाही में 68 प्रतिशत था इस वर्ष अब लगभग 35 प्रतिशत हो गया है। निजी क्षेत्र के अंशदान में आशिक वृद्धि देखी गयी है जो गत वर्ष न के बराबर था अब वह बढ़कर 26 प्रतिशत हो गया है। 30 सितम्बर, 2009 तक हमारी संचित मंजूरी लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए है।

इसी प्रकार ऋण परिसम्पत्तियों के मद में उत्पादन क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2009 की पहली छःमाही में सर्वोच्च, लगभग 78 प्रतिशत थी और वर्तमान छःमाही में यह 83 प्रतिशत है। टी एवं डी योजना अपने उसी स्तर, 16 से 17 प्रतिशत के आसपास है और अन्य लोगों का योगदान अपने पूर्व स्तर पर ही है। ऋणग्राही वार नजर डालें तो राज्य क्षेत्र की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत, तत्पश्चात 24 से 25 प्रतिशत के साथ केन्द्रीय और संयुक्त क्षेत्र और लगभग 6 प्रतिशत के साथ निजी क्षेत्र का योगदान है। हमारी ऋण परिसम्पत्तियों में वृद्धि के बावजूद भी हम लगातार गैर मौजूदा एनपीए बनाए हुए हैं जो सकल ऋण परिसम्पत्तियों का लगभग 0.02 प्रतिशत और निबल ऋण परिसम्पत्तियों का लगभग 0.01 प्रतिशत है। हमारे उधारी प्रोफाइल में अनिवार्यतः बाण्ड शामिल होते हैं, जो पिछले राजकोषीय वर्ष की पहली छःमाही में 71 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2010 की पहली छःमाही में लगभग 74 प्रतिशत है। इसमें घरेलू उधारियां आसपास ही हैं, इसकी हिस्सेदारी अधिक है और शेष अंशदान विदेश बाण्ड द्वारा किया जा रहा है। आवधिक ऋण जो लगभग 13,800 करोड़ रुपए है यह संपूर्ण बकाया उधारियों का लगभग 25 प्रतिशत है। शेष अंशदान अल्पकालीन ऋणों के माध्यम से किया जा रहा है, जो लगभग 2 प्रतिशत है। यदि हम निरंतरता आधार पर अपनी उधारी प्रोफाइल को अलग करते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश उधारी रुपए में की गई है, जो लगभग 97 प्रतिशत है और शेष उधारी विदेश मुद्रा में की गई है, यह लगभग 3 प्रतिशत है। यदि हम पूर्ण संशाधन प्रोफाइल पर नजर डालें तो शेयर धारक निधि 18 प्रतिशत और एक बार फिर अधिकांश हिस्सेदारी बाण्ड रुपए आवधिक ऋण और अल्पावधि ऋण की है, जो संपूर्ण संशाधन प्रोफाइल का लगभग 80 प्रतिशत है।

अब हम कुछ बड़ी परियोजनाओं पर नजर डालेंगे जो पहली छःमाही में स्वीकृत की जा रहीं हैं। पहली परियोजना कर्नाटक में यरमेरस थर्मल

पावर स्टेशन है जिसकी क्षमता 1600 (2x800) मेगावाट है। इसके लिए पीएफसी ने 7000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके पश्चात बिहार में 1000 मेगा वाट क्षमता वाली नवीनगर थर्मल पावर प्लांट के लिए पीएफसी ने 3700 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा हमने काफी राशि प्रगति पावर को स्वीकृत की है। पालाटना सीसीजीटी त्रिपुरा के लिए 3600 करोड़ रुपए और श्रीकाकुलम थर्मल पावर प्लांट के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए और पालाटना बोगाईगांव ट्रांसमिशन लाइन के लिए लगभग 1640 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें लगभग 1400 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन इक्विटी है। अब हम 30 सितम्बर, 2009 को हमारे शेयरधारिता पैटर्न पर नजर डालेंगे। भारत सरकार लंबे समय से हमारी संपूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 90 प्रतिशत से थोड़ा कम शेयर अपने पास रखते आ रही है। एफआईआई की शेयरधारिता लगभग 4 प्रतिशत है। घरेलू संस्थागत निवेशक जिसमें म्युचुअल फंड, निगमिल निकाय, भारतीय एफआईआई और बैंक शामिल हैं इनकी हिस्सेदारी भी संपूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरपूंजी के 4 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। यदि हम सरकार को छोड़ कर अपने 10 शीर्षस्थ शेयरधारकों पर नजर डालें तो अधिकांश योगदान जीवन बीमा कंपनियों और एफआईआई का है। इतना ही, आपको धन्यवाद। अब प्रश्न उत्तर का दौर चलेगा, आप अपने सवाल कर सकते हैं।

**श्री सतनाम सिंह:** अन्य बोलीदाता लैंको और रिलायंस हैं। अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की तर्ज पर भारत सरकार भी यह सोच रही है कि जहां कहीं भी विद्युत पारेषण बड़ी मात्रा में आवश्यक है वहां हम इसी संकल्पना के साथ ट्रांसमिशन लाइनें तैयार कर सकते हैं और इसीलिए हमें पहली ट्रांसमिशन लाइन प्रदान की गई थी। हमने इसमें भी उसी पहल का अनुसरण किया है। सबसे पहले आरएफक्यू/आरएफटी और फिर संभावित बोलीदाताओं का चयन, उनका मूल्यांकन और इस प्रकार लैंको द्वारा उद्धृत 168 करोड़ और रिलायंस द्वारा उद्धृत 200 से अधिक की तुलना में मूल्य को 119 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की रेंज में लाया जा सका है।

**प्रतिभागी:** क्या आपके कहने का आशय यह है कि आप शीघ्र ही ट्रांसमिशन क्षेत्र के लिए भी एक नोडल एजेंसी बन जाएंगे?

**श्री सतनाम सिंह:** नहीं, इस क्षेत्र में केवल हमारी कंपनी ही कार्य नहीं कर रही है।

**प्रतिभागी:** श्रीमान जी, अब बहुत सी भारतीय विद्युत उत्पादन कंपनियां कच्चे माल की आपूर्तियों जैसे कोयल और गैस तथा कई अन्य स्रोतों के लिए स्काउटिंग करती हैं, पीएफसी इस अवसर का लाभ कैसे उठा रहा है ?

**श्री सतनाम सिंह:** ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में इस बात का जिक्र अवश्य किया था कि हम कोयल खनन परियोजनाओं के साथ साथ विद्युत उपस्कर विनिर्माण परियोजनाओं के क्षेत्र में भी अवसरों की तलाश कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से सुविधा क्षेत्र से जुड़े हैं, और विद्युत परियोजनाओं के विकास में सहायक हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में चूंकि हमें अवसर दिख रहा है अतः हमने यह उत्पाद पहले से ही प्रारंभ कर दिया है और हमें कुछ प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं

जिनकी जांच जारी है, हो सकता है ऐसी पहली परियोजना अभी से 1 से 2 माह की अवधि में स्वीकृत की जाए।

**प्रतिभागी:** और विदेशी खदानों के क्षेत्र में क्या प्रगति की गई है?

**श्री सतनाम सिंह:** ठीक है, अभी हमारा अधिदेश विद्युत मंत्रालय के निदेशानुसार भारत के बाहर से वित्तीय सहायता विस्तार का नहीं है परंतु यदि आवश्यकता महसूस होती है, मेरा आशय यह है कि यदि ऐसा दृष्टिकोण बनता है, तो हमने इस बारे में अभी विचार नहीं किया है क्योंकि यदि कोई भारतीय कंपनी क्रेडिट जोखिम लेने के लिए तैयार है और वह विश्वसनीय भी है तो मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में भी एक अवसर उपलब्ध है और भविष्य में हम इस दिशा में भी कार्य कर सकते हैं। वर्तमान में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।

**श्री चोकसी:** मैं, नेटवर्क पीएमएस से श्री चोकसी हूं। पिछले तीन महीने से ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी की अपेक्षा रही है। आगामी 6 माह के लिए धन उधार लेने के संबंध में आपने क्या योजना बनायी है और यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो क्या आने वाले समय में आप अपनी ब्याज दरों में भी वृद्धि करेंगे अथवा आगामी 6 माह में संभावित निबल वृद्धि के कम होने की उम्मीद है ?

**श्री सतनाम सिंह:** जहां तक चालू वित्त वर्ष की पहली छःमाही में संसाधनों के दोहन का संबंध है, इसके लिए हमने पहले ही लगभग 7200 करोड़ रुपए की राशि जमा की है और हमारी आवश्यकतानुसार इसे 21000 से 22000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाने की योजना है। इस प्रकार बकाया 6 माह में लगभग 15000 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाएगी। इसके भाग के रूप में यह ब्याज पुनर्निधारण खण्ड के कारण हुआ है। इस प्रकार हमें उधारी लागत में किसी भी वृद्धि की क्षतिपूर्ति 2 तरीकों से की जाती है, जब हमारी मंजूरी के लिए ब्याज दर निर्धारित नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि हमारी आज की ब्याज दर यह है। परंतु उधारी दर संवितरण की तारीख के आधार पर प्रभारित की जाएगी और संवितरण की तारीख को बाजार की स्थिति के आधार पर ब्याज दर बढ़ाने अथवा घटाने की सुविधा हमें प्राप्त है तथा संवितरण के पश्चात हमें ब्याज दर संबंधी खण्ड के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाती है और उसे हर 3 वर्ष में पुनः निर्धारित किया जाता है।

**प्रतिभागी:** श्रीमान जी, मेरा पहला प्रश्न गैर-बैंक उधारी से संबंधित है। क्या दूसरी तिमाही में आपने इस तरह से, विशेष रूप से बाजार से कोई उधारी की है, इसकी औसत अवधि क्या रही है ?

**श्री सतनाम सिंह:** उधारी की अवधि बाजार द्वारा दिए गए प्रस्ताव और हमारी आवश्यकता पर आधारित होती है, इस प्रकार यह एक गतिशील प्रक्रिया है। परंतु हां, दूसरी तिमाही में हमने बाण्ड इश्यू जारी किए हैं, अरे! आप तो गैर बैंक क्षेत्र की बात कर रहे हैं?

**प्रतिभागी:** विशेष रूप से बाजार से गैर बैंक उधारियां। -

**श्री सतनाम सिंह:** आपका आशय बाण्ड से है?

**प्रतिभागी:** हाँ ।

**श्री सतनाम सिंह:** हाँ, हमने 5 वर्ष के लिए एक बाण्ड जारी किया है, दूसरा 10 वर्ष के लिए। परंतु जैसा आप जानते हैं कि हमारी औसत अवधि, परिसम्पत्तियों की

औसत परिपक्वता और उधारियों की औसत परिपक्वता को हम संतुलित रखने में सफल रहे हैं। इस क्षेत्र में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है।

**प्रतिभागी:** ठीक है श्रीमान जी, अवसंरचना एनबीएफसी के संबंध में आरबीआई के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार जैसा आपको ज्ञात है कि जोखिम भारित अवसर रेटिंग से संबद्ध होगा, अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा अथवा आप पहले से ही इसे कम रखेंगे।

**श्री सतनाम सिंह:** निश्चित ही आपको ज्ञात है कि हमें 'एएए' रेटिंग प्रदान की गई है और यदि रेटिंग के आधार पर जोखिम भार निर्धारित किया जाता है, मेरे अनुमान के अनुसार यही निर्णय हो सकता है, हमारे पूंजीगत पर्यातता संबंधी आंकड़ों में फिर से वृद्धि होगी और बैंक हमें धन उधार देने के लिए और अधिक इच्छुक होंगे।

**प्रतिभागी:** इस प्रकार यदि बैंकों को वर्तमान में आपको धन उधार देना है, तो मेरा मानना है कि क्या वे आपसे 100 प्रतिशत प्रभार वसूल करते हैं अथवा 20 प्रतिशत ?

**श्री सतनाम सिंह:** आज 100 प्रतिशत परंतु आगे चलकर यह 20 प्रतिशत हो जाएगा, इस प्रकार हमने अपनी संपूर्ण उधारियों को ध्यान में रखा है; पूंजीगत पर्यातता भी इस समय 22 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।

**प्रतिभागी:** ठीक है, आपका धन्यवाद।

**श्री सतनाम सिंह:** सभी कुछ सही चल रहा है।

**प्रतिभागी:** श्रीमान जी प्रारंभ में आपने यह उल्लेख किया कि आप विद्युत उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता निर्माण में उन्हें सहायता प्रदान कर रहे हैं, अतः आप इस संदर्भ में किस प्रकार की कंपनियों को सहायता देते हैं, मेरा आशय यह है कि क्या ये बीटीजी विनिर्माता हैं ?

**श्री सतनाम सिंह:** नहीं, हमारा विचार सभी प्रकार के विद्युत उपस्कर विनिर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो या तो विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत पारेषण में सहायता प्रदान करते हैं, इस प्रकार हम इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं।

**प्रतिभागी:** परंतु क्या आप कुछ नामों का उल्लेख कर सकते हैं जिनको अभी तक आपने सहायता प्रदान की है?

**श्री सतनाम सिंह:** नहीं, यह केवल सहायता प्रदान करने का प्रश्न नहीं है। हमने अभी तक कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है परंतु जैसा आपको ज्ञात है कि विद्युत उपस्कर विनिर्माण के क्षेत्र में एल एण्ड टी , मित्सुबिशी, रिलायंस, संघाई जेएसडब्ल्यू, तोशीबा और इन कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की प्रक्रिया में है। इस प्रकार वे सभी पात्र हो जाएंगे और मौजूदा ट्रांसफार्मर अथवा कंडक्टर विनिर्माता भी इसके लिए पात्र हैं। इस प्रकार जो भी अपना विस्तार करना चाहता है और हमसे सहायता प्राप्त करना चाहता है, हम उन्हें सहायता देंगे क्योंकि यह संपूर्ण भारतीय विद्युत क्षेत्र के हित में है।

**प्रतिभागी:** श्रीमान जी, क्या आपको आरबीआई द्वारा अभी हाल ही में बनाई गई अवसंरचना एनबीएफसी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा अथवा आपको किसी विशेष श्रेणी में रखा गया है जहां आप सरकारी क्षेत्र की एनबीएफसी हैं और वास्तविक

रूप से मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपको इसका लाभ मिलेगा ?

**श्री आर नागराजन:** नहीं, अभी तक जैसा आपको ज्ञात है कि हमें एक पीएसयू एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है परंतु मैंने अभी तक इसके विवरणों पर नजर नहीं डाली है। वह यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हमें अवसंरचना एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

**प्रतिभागी:** मुख्यरूप से मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह प्रावधान पीएसयू एनबीएफसी के लिए भी लागू है, जैसा आपको ज्ञात है कि मैं केवल यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

**श्री सतनाम सिंह:** नहीं, हमें इससे संबंधित विवरणों को देखना होगा। वर्तमान में हम केवल मुद्रित सामग्री को ही पढ़ रहे हैं, परंतु हमें इस संबंध में आरबीआई से स्पष्टीकरण प्राप्त करना होगा।

**प्रतिभागी:** श्रीमान जी, दूसरा प्रश्न आपके विस्तार से संबंधित है, मेरा मानना है कि आप पहले से ही इस संबंध में मार्गदर्शन करते रहे हैं कि आप 2 प्रतिशत अथवा इससे थोड़ा-बहुत अधिक विस्तार के बारे में विचार कर रहे हैं। और जैसा आपको ज्ञात है कि पूर्ववर्ती सम्मेलन और बैठक में यह 2 प्रतिशत से थोड़ा अधिक बताया गया था और मुझे लगता है कि और 1 अथवा 2 तिमाही में इसके इतने ही रहने की उम्मीद है और जैसा आप सोचते हैं कि अभी यह क्या है और क्या आपने लगातार इस वृद्धि को बनाए रखा है । इस प्रकार क्या आप अपने मार्गदर्शन में संशोधन करेंगे और माना कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिशा में हम कितने सक्षम होंगे। जैसा आप जानते हैं कि यह सामान्य स्तर है और आने वाले समय में आप लगभग 2.75 प्रतिशत का क्रेडिट लक्ष्य करेंगे।

**श्री सतनाम सिंह:** मुझे यह पता नहीं है कि आप पिछली विश्लेषक बैठक में उपस्थित थे अथवा नहीं, जब हमने इस बात की जानकारी दी थी कि पहली तिमाही के दौरान हमारा विस्तार 2.66 था। मैंने विवरण दिया था कि विस्तार अधिक है और हमारे पास उधारी दरों को घटाने का एक अच्छा अवसर है और हमने इसमें 25 आधार बिंदुओं की कमी की और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे विस्तार में पहली तिमाही की तुलना में पहली छःमाही में संचित रूप से आंशिक कमी हुई है, परंतु देखने की बात यह है कि समान स्थिति आज भी मौजूद है। आप जानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, यह केवल तभी संभव हुआ है जब परिस्थितयां इस किस्म से हमारे अनुकूल बनी हुई हैं। यदि बाजार में उछाल आता है, जैसा एक विश्लेषक ने उल्लेख किया था तो हम उधारी दर में वृद्धि कर सकते हैं अन्यथा हमारा विस्तार पर्याप्त है और हम इसको भविष्य में भी बनाए रखने में सक्षम होंगे। जिस उत्पाद का उल्लेख मैंने यहां किया है यदि उसके साथ हम लाभ की गति तेजी से बनाए रखने में सफल होते हैं, तो हो सकता है हमारे में भी वृद्धि हो। इस प्रकार इसका कोई विशिष्ट कारण होगा। यह उधारी दर के कारण नहीं होगा, बल्कि यह विभिन्न प्रकार के वित्तपोषक के कारण संभव होगा।

**प्रतिभागी:** श्रीमान जी, आपने अपने आरंभिक वक्तव्य में 30 प्रतिशत की टी एवं डी हानियों का संदर्भ

दिया था और पीएफसी को नोडल एजेंसी चुने जाने के कारण देश में ऐसे बहुत से क्षेत्रों में विद्युत की पहुंच का लाभ वहां की जनता को दिया गया है। क्या इस विषय पर आप कुछ और जानकारी देंगे ?

**श्री सतनाम सिंह:** ठीक है, जब कभी भी हमने भारत अथवा विदेश दोनों में निवेशकों के साथ चर्चा की है, सभी जगह यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि क्या वितरण संबंधी हानियों के इतने अधिक होने के बावजूद भी भारतीय विद्युत क्षेत्र स्थायी विकास कर पाएगा। ऐसी स्थिति में ऐसा कहना तो सरल है परंतु हम वास्तविकता जानते हैं कि लंबे समय तक नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 52000 करोड़ रुपए की लागत से एक पहल शुरू की है और सरकारी संरचना के अनुसार 2001 की जनगणना के आधार पर 30,000 से अधिक आबादी वाले 1420 कस्बों को इस योजना में शामिल किया जाना है। यह योजना दो भागों – भाग 'क' और भाग 'ख' में विभाजित है। भाग 'क' स्टेट ऑफ दि आर्ट सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से आधार लाइन डेटा की स्थापना से संबंधित है और भाग 'ख' के अंतर्गत वितरण संबंधी हानियों को 15 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। अब इस योजना से संबंधित निम्नानुसार हैं; जैसे जिन राज्यों में वितरण संबंधी हानियां 30 प्रतिशत से अधिक हैं वहां उन्हें न केवल परियोजना क्षेत्र की हानियों को 15 प्रतिशत तक लाना है बल्कि संपूर्ण राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष हानियों में 3 प्रतिशत की कमी करनी है और जहां कहीं इसका मौजूदा स्तर 30 प्रतिशत से कम है, वहां इसे 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक कम करना है। केवल तभी उनकी पात्रता अनुकूल हो पाएगी। इसके अंतर्गत यह पहल की जा रही है कि कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत परियोजना की ऋण राशि की 50 प्रतिशत धनराशि प्रारंभ में तो ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी परंतु जैसे ही वितरण संबंधी हानियों का स्तर 15 प्रतिशत से कम हो जाता है अथवा यदि यह 20 प्रतिशत है तो आनुपातिक आधार पर उस धनराशि को अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यदि यह 5 वर्ष की अवधि तक यथावत बना रहता है तो 50 प्रतिशत की ऋण राशि को 5 वर्ष की अवधि में 10 10 प्रतिशत आधार पर अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सभी के बीच यह संदेश जाता है कि आप कहीं से 100 रुपए उधार लेते हैं और विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पूरा करने पर 50 रुपए आपको नहीं लौटाने हैं और 5 वर्ष की अवधि तक उस स्तर को बनाए रखना है। अब यह विद्युत क्षेत्र के लिए अच्छे संकेत हैं। यहां तक कि हमें आशा है कि कोई भी कंपनी कम से कम इतना तो कर सकने में सक्षम होगी ही, परंतु यदि ज्यादातर कंपनियां ऐसा करने में सफल रहती हैं तो यह हमारे लिए 2 तरीके से सहायक होगा। एक तो यह बेहतर विद्युत क्षेत्र के सृजन में सहायक होगा दूसरे हमारी मौजूदा उधारी दरों में सुधार होगा क्योंकि वितरण संबंधी हानियों में कमी होने से कंपनियां अधिक राजस्व अर्जित करेंगी। हमारी मौजूदा परिसम्पत्तियों, उनकी गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा। यह यहां तक कि इस समय भी हमारे लिए अच्छा साबित होगा जब गैर निष्पादन परिसम्पत्तियां स्पष्ट रूप से दर्शायी जाएंगी परंतु इसके बावजूद



भी इसमें सुधार होगा क्योंकि हमारे सभी ऋणग्राही बेहतर स्थिति में होने के साथ साथ नकदी प्रवाह बनाए रखने में सफल होंगे।

**प्रतिभागी:** श्रीमान जी, आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में अपने 90 प्रतिशत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 5 वर्ष की समयावधि पर्याप्त होगी।

**श्री सतनाम सिंह:** ठीक है, भाग 'क' परियोजना के लिए समयावधि लगभग 18 माह है और इसके पश्चात 3 वर्ष और इससे अधिक है और चूंकि यह 5 वर्ष तक जारी रखना है तो आप लगभग 18 माह और 7 वर्ष का समय ले सकते हैं परंतु यह चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा।

**प्रतिभागी:** आपका धन्यवाद।

**अमित निसार:** मैं ए सी चोकसी से अमित निसार। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी अल्ट्रा मेगा ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं प्राप्त हो सकने की उम्मीद है?

**श्री सतनाम सिंह:** जैसा मैंने उल्लेख किया है कि अभी हमने एक परियोजना प्राप्त की है जिसके लिए जल्दी ही चयनित बोलीदाता को एलओए जारी किया जाएगा और इसके अलावा हमें 2 और परियोजनाएं दी गयीं हैं। इनके अलावा हमें अन्य कोई ट्रांसमिशन लाइन परियोजना आवंटित नहीं की गई है। परंतु चूंकि श्री देवेन्द्र सिंह यहां उपलब्ध हैं अतः क्या आप यह बता सकते हैं कि भविष्य में कितनी परियोजनाएं प्राप्त हो सकेंगी?

**अमित निसार :** श्रीमान जी, आपने उल्लेख किया है कि इस परियोजना के लिए पीएफसी और आरईसी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। दोनों में कहां अंतर हो सकता है अथवा इस परियोजना के वित्तपोषण में क्या ब्याज की ओवरलैपिंग होगी?

**श्री सतनाम सिंह:** नहीं, इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में बात नहीं कर रहे हैं। बात केवल यह है कि हमें ऐसे बोलीदाता के चयन की प्रक्रिया पूरी करने का कार्य सौंपा गया है जो इस परियोजना का कार्यान्वयन करेगा। इसके पश्चात इन परियोजनाओं को पीएफसी अथवा आरईसी कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा विकासकर्ता किसके साथ पहल करता है और किसी समूह विशेष के लिए एक्सपोजर का स्तर क्या रहता है।

**अमित निसार:** ठीक है, आपका धन्यवाद ।

**प्रतिभागी:** बहुत ही छोटा प्रश्न, तिमाही के दौरान कर दर में पिछले 17 प्रतिशत की तुलना में कमी क्यों हुई है ?

**श्री सतनाम सिंह:** इसका क्या आशय है ?

**प्रतिभागी:** यह बहुत ही छोटा प्रश्न है। तिमाही के दौरान कर दर में लगभग 16 17 प्रतिशत की कमी हुई है, क्या इसका कोई विशेष कारण है ?

**श्री सतनाम सिंह:** नहीं, कर दर इतनी नहीं थी, वास्तविक कर दर लगभग 27 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है। बाकी यदि कोई प्रभाव पड़ा है तो वह रिफंड के कारण है, मेरा आशय यह है कि कर दर में कमी नहीं हो सकती है। यहां तक कि हम धारा 4(क) के अंतर्गत 20 प्रतिशत लाभ के पात्र हैं फिर भी हमारी कंपनी की कर दर उसी रेंज में है। अन्य

कोई प्रश्न अथवा हमें सत्र समाप्त करना चाहिए?  
धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद ।